WWW.LIVELAW.IN

ज्ञापांक...13.../2021/विविध/गामा-1/साईबर/आ0अप0ई0

बिहार पुलिस मुख्यालय

(आर्थिक एवं साईबर अपराध प्रभाग)

पटना, दिनांक-21/01/2021

प्रेषक,

नैयर हसनैन खान, भा.पु.से.
अपर पुलिस महानिदेशक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव
बिहार, पटना ।

विषयः- सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में सोशल मिडिया/इन्टरनेट पर अवांछनीय व्यक्ति/ संगठनों द्वारा की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में ऐसी सूचनाएं लगातार प्रकाश में आ रही है कि कतिपय व्यक्ति/ संगठनों द्वारा सोशल मिडिया/इन्टरनेट के माध्यम से सरकार, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक/अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां की जाती है । यह विधि विरूद्ध एवं कानून के प्रतिकूल है तथा साईबर अपराध की श्रेणी में आता है । इस कृत के लिए ऐसे व्यक्तियों, समूहों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । उल्लेखनीय है कि आर्थिक अपराध इकाई, आर्थिक अपराध के साथ-साथ साईबर अपराध की नोडल संस्थान है ।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उक्त प्राकृति के मामले संज्ञान में आने पर कृपया आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को विस्तृत सूचना के साथ अवगत कराने की कृपा की जाय ताकि ऐसे मामले में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा संज्ञान लेकर जॉचोंपरान्त संबंधित व्यक्ति/ समूहों के विरूद्ध विधिनुकूल प्रभावी कार्रवाई की जा सकें ।

(हस्ताक्षर) 21.01.21.

(नैयर हसनैन खान)

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ ।

2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ ।
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ ।

(हस्ताक्षर) 21.01.21

अपर पुलिस महानिदेशक
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना ।

WWW.LIVELAW.IN